मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक –3064/मप्रविनिआ/2005. विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 52 सहपठित धारा 181 (1) एवं 181 (2) (जेड) एवं धारा 16 सहपठित धारा 181 (2) (डी) एवं अन्य सामर्थ्य शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2680–मप्रविनिआ – 2004 दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में संशोधन

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम **''व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें विनियम, 2004 (द्वितीय संशोधन) (क्रमांक एजी–18 (ii), वर्ष 2005)''** कहे जायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें विनियम, 2004 जिन्हें इसके बाद प्रधान विनियम कहा जायेगा, **अनुच्छेद 1.2** के अन्त में निम्नलिखित **अनुच्छेद 1.2** (ए) जोड़ा जावे, अर्थात् :

''1.2(ए) भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 379 (ई) दिनांक 8 जून, 2005 की धारा 9 में विनिर्दिष्ट अनुसार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 सहपठित धारा 79 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ई) के अन्तर्गत एक विद्युत व्यापारी को अर्न्तराज्यीय विद्युत प्रचालन हेतु जारी की गई अनुज्ञप्ति उसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग से राज्य की सीमा में विद्युत व्यापार हेतु पृथक अनुज्ञप्ति की प्राप्ति की अर्हता बगैर ऐसे विद्युत व्यापारी को इस राज्य में किसी विद्युत विक्रेता से विद्युत क्रय किये जाने हेतु तथा उसे किसी क्रेता को पुर्नविक्रिय किये जाने हेतु भी अधिकृत करेगी ।''

प्रमुख विनियम के **अनुच्छेद 1.4 में सरल क्रमांक (टी)** में शब्दों ''व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे व्यापार अनुज्ञप्ति जारी की गई है,'' निम्न शब्द प्रतिस्थापित किये जावें, अर्थातः

''व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में राज्यीय विद्युत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है''

प्रमुख विनियम के **अनुच्छेद 2.3 के** प्रथम वाक्य में शब्द ''अधिकतम'' के बाद शब्द ''राज्य की सीमा में'' अर्न्तस्थापित किया जावे ।

प्रमुख विनियम के **अनुच्छेद 2.4 के** प्रथम वाक्य में शब्द ''अन्तर्राज्यीय'' के स्थान पर शब्द ''राज्य की सीमा में'' अर्न्तस्थापित किया जावे ।

प्रमुख विनियम के **अनुच्छेद 3.2 के** सरल क्रमांक (i) में शब्दों ''उसके द्वारा किये गये'' के उपरांत शब्द ''राज्य की सीमा में'' अर्न्तस्थापित किये जावें ।

विनियम के **अनुच्छेद 3.7** का हिन्दी रूपांतरण अपरिवर्तनीय है ।

प्रमुख विनियम के **अनुच्छेद 4.2 के** बाद निम्न अनुच्छेद 4.2 (अ) जोडा जावे, अर्थातः

''4.2(ए) एक व्यापारी जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से अर्न्तराज्यीय प्रचालन हेतु व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हो उसे राज्य की सीमा में इन विनियमों के अन्तर्गत राज्य की सीमा में व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

प्रमुख विनियम में, **अनुच्छेद 10.9 के** उपरांत निम्न पैरा जोड़े जावें, अर्थात् :

''10.9(ए) राज्य भार प्रेषण केन्द्र नियमित आधार पर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन का प्रबोधन (मानिटरिंग) आयोग को प्रयोज्य मानकों में किये गये कतिपय परिवर्तनों के परिवीक्षण को आयोग को प्रतिवेदित किये जाने संबंधी सुविधा प्रदान करेगा।

10.9(बी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अध्याय 6 में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी हेतु विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के अनुपालन का प्रबोधन भी करना होगा'' ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,, उप सचिव